

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर,

अटल नगर, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 22/10/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3 :- राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय हाईस्कूल लिंगियाडीह जिला बिलासपुर का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति लिंगियाडीह जिला बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय समिति लिंगियाडीह जिला बिलासपुर को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	01	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	02	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	01	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	02	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	02	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	02	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	01	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	01	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	01	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	02	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

order

क.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
11	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	01	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	01	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	06	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	08	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्यायाम शिक्षक	01	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	ग्रंथपाल	01	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	कम्प्यूटर शिक्षक	01	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18	प्रयोगशाला सहायक	03	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	सहायक ग्रेड 02	01	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	सहायक ग्रेड 03	01	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	भृत्य	04	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	चौकीदार	01	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	02	कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार	

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(ए. आर. खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क०मांक फ 23-08/2020/20-3
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 22/10/2020

- (1) अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर
 - (2) निज सचिव, छ०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
 - (3) उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
 - (4) समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
 - (5) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
 - (6) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग.
 - (7) समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
 - (8) समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़
 - (9) शासकीय हाईस्कूल लिंगियाडीह जिला बिलासपुर एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति लिंगियाडीह जिला बिलासपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग